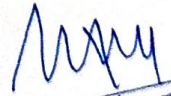


पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट जारी करने के उपरांत नामांकन हेतु चरण:-

1. जिन छात्र / छात्राओं का प्रथम मेरिट लिस्ट में चयन हुआ है उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर प्रथम मेरिट लिस्ट में चयनित होने की सूचना भेजी जा रही है।
2. चयनित छात्र / छात्रा पूर्णियां विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर जाकर एडमिशन समर्थ पोर्टल से अपना लॉगिन कर ऑफर लेटर Offer Letter डाउनलोड कर लेंगे।
3. ऑनलाइन नामांकन फार्म में भरे गये सभी सूचनाओं तथा अपलोड किये सभी प्रमाणपत्रों जैसे अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि हों) का सत्यापन आवंटित महाविद्यालय के नामांकन एवं शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ (Admission and Academic Documents Verification Cell) द्वारा किया जायेगा।
4. दिनांक 16/07/2025 से 22/07/2025 तक अवश्य रूप से चयनित महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन आवेदन का प्रिंटआउट, फोटोग्राफ (वही फोटो लेकर जायेंगे जिन्हें नामांकन आवेदन पर लगाया गया है) सभी मूल दस्तावेज और सभी आवश्यक स्वअभिप्रमाणित दस्तावेजों की प्रति लेकर जायेंगे और अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाणपत्रों द्वारा भौतिक सत्यापन करायेंगे।
5. विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि वें महाविद्यालय से अपने प्रमाणपत्रों को सत्यापित कराने के बाद नामांकन शुल्क उसी तिथि में अवश्य रूप से जमा कर दे, अन्यथा महाविद्यालय नामांकन को ग्रांट नहीं करेंगे।
6. सिर्फ मेरिट लिस्ट में आने, प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने भर से विद्यार्थी का नामांकन पूर्ण नहीं माना जाएगा। विद्यार्थी का नामांकन सिर्फ और सिर्फ तभी पूरा माना जाएगा जब महाविद्यालय उसके नामांकन को ग्रांट कर देगा अर्थात् विद्यार्थी नामांकन शुल्क जमा कर महाविद्यालय को नामांकन शुल्क जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत कर देगा।
7. नामांकन शुल्क महाविद्यालय के पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जायेगा।
8. चयन लिस्ट में आने के बाद विद्यार्थी नामांकन लेने हेतु चयनित महाविद्यालय जाकर सभी शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की जांच सशरीर उपस्थित होकर करानी होगी। विद्यार्थी के अलावा किसी अन्य अथवा निकट परिजन को सभी शैक्षणिक एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की जांच कराने की कोई अनुमति नहीं है।
9. महाविद्यालय द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही महाविद्यालय नामांकन नोडल अधिकारी विद्यार्थी के नामांकन को validate करेंगे, इसके बाद ही छात्र / छात्रा नामांकन शुल्क जमा करने हेतु पेमेंट कर सकेंगे।
10. वैसे विद्यार्थी जो प्रथम मेधा सूची में वरीयता वाले महाविद्यालय में स्थान प्राप्त कर लिए हैं परंतु नामांकन नहीं लिए, उन छात्र / छात्राओं को द्वितीय मेधा सूची में न तो शामिल किया जाएगा और न ही द्वितीय मेधा सूची नामांकन के दौरान उनका नामांकन लिया जायेगा।
11. नामांकित विद्यार्थियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान और नामांकन प्रक्रिया समापन तक नामांकन रद्द करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। नामांकन रद्द कराने की स्थिति में नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जा सकेगा।
12. विद्यार्थियों द्वारा आवेदन में भरे गए अंको (अंक प्रतिशत) के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गयी है। यदि महाविद्यालय में नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने पर अंकों में अंतर पाया जाता है या जाति में बदलाव आता है तब ऐसी स्थिति में नामांकन नहीं लिया जाएगा।

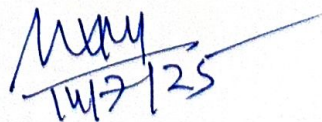

14/7/25

13. यदि विद्यार्थी नामांकन पत्र भरने के दौरान पिता का नाम माता का नाम जन्म तिथि धर्म आदि में आंशिक त्रुटि पाई जाती है। तो आवंटित महाविद्यालय के स्तर से आवेदन करके त्रुटि का सुधार करने के बाद ही महाविद्यालय नामांकन को वैलिडेट करेगा। इसके लिए विद्यार्थी को एक आवेदन महाविद्यालय में समर्पित करना होगा।
14. नामांकन लेने हेतु महाविद्यालय जाते समय नामांकन अपलोड किये गये शैक्षिक अंक पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी:-
- a. CLC/ SLC original b. Migration original (If applicable)
15. सभी महाविद्यालयों में छात्र / छात्रों की सुविधा हेतु हेल्प डेस्क सेंटर स्थापित किये गये हैं। ऐसे छात्र / छात्रा जिनका नामांकन आवेदन फार्म में गलत अथवा अपूर्ण जानकारी के कारण महाविद्यालय द्वारा रोक गया है, प्रथम मेरिट के आधार पर होने वाले नामांकन पूर्ण होने के पश्चात महाविद्यालय स्थित हेल्प डेस्क सेंटर पर जाकर दिनांक 24/07/2025 से 28/07/2025 तक आवेदन फार्म में आवश्यक सुधार करा लेंगे तभी वे द्वितीय मेरिट में भाग ले सकेंगे अन्यथा ऐसे विद्यार्थी नामांकन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
16. ऐसे छात्र / छात्रा जिनका चयन भरे गये नामांकन आवेदन फॉर्म में किसी गलत अथवा अपूर्ण जानकारी के कारण प्रथम मेधा सूची में चयन नहीं हुआ, वे भी प्रथम मेरिट के आधार पर होने वाले नामांकन पूर्ण होने के पश्चात महाविद्यालय स्थित हेल्प डेस्क सेंटर पर जाकर दिनांक 24/07/2025 से 28/07/2025 तक आवेदन फार्म में सुधार करा लें अन्यथा ऐसे छात्र / छात्रा नामांकन प्रक्रिया से बाहर ही रहेंगे।
17. ऐसे छात्र / छात्रा जो नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं उनके लिए भी फ्रेश एप्लाइ दिनांक 24/07/2025 से 28/07/2025 तक पूर्णियां विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर समर्थ पोर्टल से अपना एप्लाइ कर सकते हैं।
18. नामांकन फार्म में पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत सुधार के लिए दिनांक 18.06.2025 एवं पुनः दिनांक 28.06.2025 को विश्वविद्यालय द्वारा पत्र जारी कर 29.06.2025 से 04.07.2025 तक पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत सुधार के लिए पोर्टल खोला गया था। सभी सूचना वेबसाइट एवं अखबारों के माध्यम से प्रकाशित भी की गयी।
19. ऐसे छात्र / छात्रा जिन्होंने इन सूचनाओं की अनदेखी की है तथा ऑनलाइन आवेदन करना ही भूल गये हैं, उन्हें पुनः एक अवसर दिया जायेगा। प्रथम मेरिट के आधार पर होने वाले नामांकन पूर्ण होने के पश्चात महाविद्यालय स्थित हेल्प डेस्क सेंटर पर जाकर आवेदन फार्म में आवश्यक सुधार करा लेंगे। नामांकन आवेदन में सुधार होने के पश्चात ही ऐसे छात्र / छात्रा द्वितीय मेरिट में नामांकन हेतु शामिल हो सकेंगे।


14/7/25

महाविद्यालयों में बनाये गये पांच सदस्यीय "नामांकन एवं शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ" (Admission and Academic Documents Verification Cell) के कार्य:-

1. नामांकन एवं शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे। महाविद्यालय में होने वाले सम्पूर्ण नामांकन प्रक्रिया प्रकोष्ठ अध्यक्ष के ही नेतृत्व में संपन्न होगी तथा महाविद्यालय में हुए नामांकन की पूरी जवाबदेही प्रधानाचार्य महोदय की ही होगी। प्रकोष्ठ के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बनाये रखेंगे ताकि नामांकन का कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो सके। प्रधानाचार्य नामांकन कार्य को सुगम बनाने हेतु अपनी सुविधानुसार कार्य का बंटवारा करेंगे।
2. समर्थ पोर्टल द्वारा सभी महाविद्यालयों को लॉगिन आईडी दिया गया है, इसी लॉगिन में मेरिट लिस्ट के चयनित छात्र छात्राओं की सूची भी होगी। महाविद्यालय नामांकन नोडल पदाधिकारी समर्थ पोर्टल के लॉगिन से छात्र छात्राओं द्वारा अपलोड किये शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का मिलान करेंगे और मिलान नहीं होने की स्थिति में नामांकन स्वीकार नहीं करेंगे। नामांकन को अप्रूव भी नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
3. प्रत्येक महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए एक हेल्पडेस्क सेंटर अतिशीघ्र स्थापित किया जाये। प्रकोष्ठ के तीसरे सदस्य हेल्पडेस्क सेंटर इंचार्ज के रूप में काम करेंगे। हेल्पडेस्क सेंटर में इन्टरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर कर्मियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नामांकन अस्वीकार हुए छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए हेल्पडेस्क सेंटर अतिमहत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। पंजीयन के समय विद्यार्थियों के लिए ABC (APAAR) ID के नोडल के रूप में भी कार्य किया जाना है।
4. नामांकन के तुरंत बाद पंजीयन का कार्य किया जाना है। महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की MIC, MDC एवं अन्य विषय भी आवंटित/ प्रदान किये जाने है। विद्यार्थियों को कौन विषय आवंटित/ प्रदान दिया गया है इसकी जवाबदेही प्रकोष्ठ के चतुर्थ सदस्य की रहेगी। ऑनलाइन नामांकन आवेदन में भरी गयी सभी सूचनाओं के सत्यापन का कार्य किया जायेगा। विषयवार नामांकित एवं रिक्त सीटों की गणना भी करेंगे।
5. प्रकोष्ठ के पांचवें सदस्य शैक्षणिक एवं जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने में अपना पूर्ण सहयोग करेंगे एवं विद्यार्थियों द्वारा जमा की गयी नामांकन शुल्क का ब्यौरा भी मिलान हेतु अपने पास रखेंगे ताकि कितना नामांकन पूर्ण हुआ यह डाटा का मिलान हो सके।


14/7/25